

addition to levey sugar, free sale sugar is also available in the open market. During the current sugar season, a quantity of 46 lakh tonnes of free sale sugar has been released in the -country from October, 1989 to May, 1990 as- against 39.90 lakh tonnes during the corresponding period last season.

Dangers of Pesticides use

@1062. SHRI SURESH PACHOURI
Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that use of pesticides is not being monitored any

where in the country and not even it the Agricultural Universities and Public Health Departments and generally persons use it with bare hands and bare bodies as reported in the *patriot* of the 20th March, 1990;

(b) whether Government have brought out any pamphlets/posters/video Aims on the subject and if so, what are the details thereof; and

(c) whether Government are extending any support to voluntary groups such as National pesticide Action Committee, for educating the farmers and common public regarding dangers of pesticide use and in its movement towards safer alternatives ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI NITISH KUMAR): (a) No, Sir.

(b) Yes, Sir. The labels and leaflets accompanied with the pesticides container gives information on pest control recommendations, containing the dose, time and method of application including the precautions to be observed during use. This is a mandatory requirement under the Insecticides Act, 1968. The State Governments/Central Government/Agricultural Universities/Indian Council of Agricultural Research Institutions have also brought out publicity material on proper use of pesticides. Some of them are as under:—

Posters :

Precautions against pesticides.

©Previously Unstarred Question 611 transferred from the 14th May, 1990.

@@पूर्वतः अतारंकित प्रश्न 693, 14 मई 1990 से स्थानान्तरित ।

Pamphlets!

(i) Know your pesticides.

(ii) Treatment of pesticides poisoning.
films : (i) pesticides.

(ii) Safe use of pesticides.

(iii) Pesticides in the service of farmers.

Vidio Films : Pesticides in the service of farmers.

(c) Yes, Sir

1990 को शिशु बालिका बचाओ वर्ष के रूप में मनाया जाना

@@1063. श्रीमती सरिता महेश्वरी :
श्री मोहम्मद अमीन :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की इच्छा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सारे देशों में वर्ष 1990 को "शिशु बालिका बचाओ वर्ष" के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, और

(ख) यदि हाँ, तो भारत सरकार इसे किस रूप में कार्यान्वित करने का विचार रखती है ?

कल्याण मंत्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उप मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) दक्षिण देशों ने 1990 को "दक्षिण बालिका वर्ष" के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है।

(ख) भारत में दक्षिण बालिका वर्ष मनाए जाने की कार्य योजना का विवरण सलग्न है। (नीचे देखिए)

विवरण

वर्ष 1990 को दक्षिण बालिका वर्ष मनाने के लिए कार्य योजना

भारत

1. समस्या का मूल्यांकन

लिंग भेद पर आधारित दस्तावेज/अध्ययन करना, 0-6, 7-12, 12-18 की आयु वर्ग की बालिकाओं के लिए अलग-अलग आंकड़े तैयार करना और उपरोक्त आंकड़ों का शहरी और ग्रामीण आधार पर ब्यौरा देना जिसमें बालिकाओं में रूग्णता, स्वास्थ्य स्थिति और शिक्षा संबंधी सेवाओं तथा व्यावसायिक स्थिति दिखाई गई हो। विशेष मसलों का

शात्मक अध्ययन करना बाल विवाह, बालिका शिशु भ्रम हत्या, बाल श्रम के क्षेत्र से परे अदृश्य कार्य बल के रूप में युवा लड़कियों का शोषण आदि। भौगोलिक, क्षेत्रीय स्थिति, धार्मिक सांस्कृतिक और बातावरण को ध्यान में रखते हुए विशेष समस्याओं/क्षेत्रों का पता लगाने के लिए अध्ययन करना।

इससे सरकार तथा समाज में ध्यात समस्याओं का पता लगाने में सुविधा होगी।

2. विभिन्न क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों की समीक्षा/मूल्यांकन करना क्योंकि वे जहाँ संभव हो, बालिकाओं के लिए कार्यक्रमों का रि-ओरियेंटेशन करने के विशेष उपायों पर सरकार द्वारा विचार किया जाये।

3. क्या कुछ किए जाने की आवश्यकता है !

वर्ष 1990 में शुरू किये जाने वाले विशेष कार्यक्रम/कार्य

(1) जन्म से पूर्व तथा 0-6 7-12, और 12-18 वर्ष की आयु वर्ग की बालिकाओं के विकास के लिए आवश्यक कार्यक्रम दशति के लिए, सन्धा के मूल्यांकन संबंधी अध्ययनों/दस्त बेजों से एकत्र ज नकरी से उत्पन्न बौद्धिक कार्यकलाप/सेमिनार स्तरीय सम्मेलन/कार्यशाला आयोजित करनी होंगी।

(2) बालिकाओं की समस्याओं पर रोशनी डालने, उनके प्रति लोगों में जागृति उत्पन्न करने, सकारात्मक दृष्टिकोण अताने तथा प्रचार करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक जन-संचार माध्यमों सहित प्रचार अभियान चलाना। ध्याव-सायिक संस्थाओं के माध्यम से प्रदर्शनियां भी आयोजित की जायेंगी।

(3) विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए विशिष्ट कार्यक्रम शुरू करना अथवा मौजूदा कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाना।

I. साक्षरता

II. (क) अनैतिक पणन अधिदिदम और बालिकाएं—ऐसे विशिष्ट क्षेत्रों/दशों वा जहां से इन बालिकाओं को लया जाता है यह देखने के लिए अध्ययन करना कि क्या इस समस्या पर प्रारम्भ में ही काबू पाया जा सकता है। उदाहरणतया क्या इस का कारण सूखा-ग्रस्त क्षेत्र में आई गरीबी है जिस वजह से बालिकाओं को यह निर्षिद्ध धन्धा अपनाना पड़ता है। इस प्रकार के निर्षिद्ध धन्धे अपनाने की रोकथाम के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किए जा सकते हैं। फिलहाल ऐसे धन्धे में फंसी बालिकाओं का निकालने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई किए जाने का विचार है।

(ख) देवदासी/जोगिन और किशोरी लड़कियों के संबंध में इस समस्या का मूल इस प्रथा को धार्मिक और सामाजिक स्वीकृति मिलना है। कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के तीन राज्यों में कानून द्वारा युवा लड़कियों को समर्पित करना एक अपराध घोषित किया गया है। परन्तु यह प्रथा फिर भी जारी है—इस बुराई को र्बन्कारते हुए जो अभी भी मौजूद है, इसकी रोकथाम के लिए तथा ऐसी लड़कियों के पुनर्वास के लिए कार्यक्रम बनान होंगे। यदि यह प्रथा कुछ अन्य राज्यों में भी प्रचलित है और वहां कोई अधिनियम नहीं बनाया गया, तो महिला और बाल विकास विभाग को चाहिए कि वह उन राज्य सरकारों पर दबाव डाले कि वे ऐसा कानून बनायें।

4. स्लोगन

“1990 में कोई बाल-विवाह नहीं”

उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चार राज्यों पर विशेष जोर दिया जायेगा जहां यह बुराई अत्याधिक व्याप्त है। राजस्थान में सामूहिक संचार सेवार्थ शुरू करने

के लिए विशेष प्रयत्न किए जाने हैं और अर्बन में अकॉमोडेशन के अक्सर पर ये कार्यक्रम चरण सीमा पर होंगे।

5. बालिकाओं के प्रति भेदभाव पूर्ण व्यवहार को स्वीकारते हुए राष्ट्रीय विकास योजना में विशेष व्यवस्था हाती चाहिए ताकि बालिकाओं की स्थिति पर नजर रखी जा सके।

6. 18 वर्ष की आयु तक लड़कियों की शादी टालने के लिए लड़कियों और उनके परिवार को प्रोत्साहन देने हेतु प्रारम्भ में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान ये 4 राज्यों में किशोरी विकास केन्द्रों की स्थापना करना।

7. निर्धन शहरों, बालिकाओं की समस्या के समाधान के लिए नवीन योजनाएँ समस्या विशेष हों और प्रायोगिक परियोजनाएँ हों ताकि उनमें फेरबदल हो सके।

अखिल भारतीय आंगन बाड़ी कर्मचारी संघ की मांगें

* 1064. सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा : क्या कल्याण मंत्री यह बातों की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने हाल ही में अपनी मांगों के समर्थन में सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इन कर्मचारियों की मांगें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है और उनकी मांगों के संघर्ष में उनसे बातचीत की है; और

(घ) यदि हाँ, तो यह बातचीत कब हुई थी तथा उसका क्या परिणाम रहा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्रालय में स्त्री एवं बाल विकास विभाग में उप मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) और (ख) जा, हाँ। अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ और अखिल भारतीय कामगार संघ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारियों के बराबर का दर्जा दिए जाने और सरकारी कर्मचारियों को स्वीकार्य नियमित वेतनमान और अन्य सुविधाएँ दिए जाने की मांग को लेकर सरकार को एक ज्ञापन दिया है।

(ग) और (घ) इन दोनों महासंघों के प्रतिनिधि इस विभाग के अधिकारियों से मिले थे। उन्हें यह स्पष्ट किया गया कि संयुक्त बाल विकास सेवा योजना (आई०सी०डी०एस०) की धारणा आर्मिंग स्तर पर स्वयंसेवा सेवाओं तथा सामुदायिक सहभागिता सिद्धान्तों पर आधारित है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएँ अंशकालिक, अवैतनिक और स्वयंसेवी कार्यकर्ता होती हैं। उन्हें सरकारी कर्मचारियों के समान नियमित वेतनमान और भत्ते दिया जाना सामुदायिक-सहभागिता की धारणा के विपरीत है। उनसे प्रतिदिन लगभग साढ़े चार घंटे कार्य करने की ही अपेक्षा की जाती है। मांग की भारी वित्तीय कठिनाइयों और इसके व्यापक प्रभावों के अलावा, इन्हीं कारणों से इन कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारियों का दर्जा देना सरकार के लिए संभव नहीं होगा।

Use of cassettes as better baby sitters-

**1065. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of WELFARE be pleased to state;

(a) whether Government's attention has been drawn to a report which appeared in the Economic Times dated the 26th April, 1989 under the caption "Times for Tiny Tots";

(b) if so, whether there is any proposal under Government's consideration to encourage the use of cassettes as better baby sitters; and

(c) if so, what are the details in this regard;

*पूर्वत अज्ञात प्रश्न 771, 15 मई, 1990 से स्थानान्तरित।

**Previously Unstarred Question 802, transferred from the 15th May, 1990.